



• 6 राज्य
• 2 केंद्रशासित प्रदेश
• 22 संस्करण

राजधानी •
वर्ष 23 | अंक 237 | पृष्ठ: 16+6+16
मूल्य: चार रुपये

आमर उजाला

नई दिल्ली

शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025

पौष कृष्ण-प्रतिपदा
विक्रम संवत्-2082

संसद

स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सेस जरूरी चीजों पर नहीं लगेगा...7

दिल्ली-एनसीआर



यमुना सिटी में नए साल से दौड़ेंगी लगजरी हाइड्रोजन बसें छह बसों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया शुरू, 45 सीटर बसों का होगा संचालन

माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण नए साल में हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू कर सकता है। बसों के संचालन के लिए चालक व परिचालक निजी एजेंसी से चुने जाएंगे। एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाइड्रोजन फ्यूल की आपूर्ति एनटीपीसी की ओर से की जाएगी। यह फ्यूल कासना स्थित एसटीपी के शोधित पानी का उपयोग कर बनाया जाएगा।

एसीईओ नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बोर्ड से मंजूरी के बाद एजेंसी के चयन की प्रक्रिया को शुरू की जानी थी। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जल्दी ही इच्छुक एजेंसियों के ऑफर के लिए ईओआई जारी



हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित होने वाली बस। स्रोत: सूचना विभाग

कर दिया जाएगा। बेहतर एजेंसी से प्राधिकरण बसों का संचालन कराएगा। नए साल में बसों का संचालन शुरू करने का प्रयास है। अभी चार बसें एनटीपीसी की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी। जल्द ही दो और बसें हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बेड़े में शामिल की जाएंगी। ऐसे में एजेंसी को भी छह बसों के लिए चालक

एक बार फ्यूल भरने पर
600 किमी चलेंगी

एनटीपीसी के प्राधिकरण को दिए गए प्रजेंटेशन के मुताबिक यह बसें एक बार हाइड्रोजन सेल फ्यूल मिलने के बाद 600 किमी तक दौड़ेंगी। एयरकंडीशंड बसों में 45 यात्रियों के बैठने की सुविधा रहेगी। संचालन के समय केवल भाप निकलेगी जोकि प्रदूषण रहित उत्सर्जन होगा।

व परिचालक उपलब्ध कराने के लिए सेवाएं देने के लिए कहा जाएगा।

प्राधिकरण और एनटीपीसी के बीच हुई शर्तों के मुताबिक संचालन की जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी। वहीं फ्यूल की

प्रदेश का पहला पायलट प्रोजेक्ट

यमुना सिटी में हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित बसों का यह पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। प्रयोग अगर सफल रहा तो भविष्य में दिल्ली-एनसीआर के अलावा कई प्रमुख शहरों में इन बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। एनटीपीसी का प्रयास है कि प्रदूषण से जूझ रहे शहरों में इस तरह की बसों का संचालन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कराया जाए।

आपूर्ति के अलावा बसों का जरूरी रखरखाव एनटीपीसी कराएगा। बसों के संचालन के लिए जरूरी अनुमति या परमिट की व्यवस्था भी प्राधिकरण के द्वारा ही की जानी है।